If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) : (i) Chairman/Member, Union Public Seervice Commission —Chairman (ii) Secretary/Additional Secretary (Administration, General), Union Public Seervice Commission —Member (iii) Joint Secretary (Administration)/Deputy Secretary (General) Union Public Seervice Commission —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion".

[F. No. 39021/01/2005-Estt.(B)]
RAKESH MOZA, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 238, dated the 17th November, 2007.

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2012

सा.का.नि. 31.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग, बढ़ई समूह ''ग'' पद भर्ती नियम, 2000 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का सँक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, बढ़ई, समूह ''ग'' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. संघ लोक सेवा आयोग, बढ़ई, समूह ''ग'' पद भर्ती नियम, 2000 में,—

(i) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

''2. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—पद संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।'';

(ii) विद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

''अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बढ़ई	1* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैण्ड-1, (रु. 5200—20200) रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके आयु 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) । **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने

	(6)
	के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी अन्य समतुल्य संस्थान से बढ़ईगिरी व्यवसाय का प्रमाणपत्र; और (ii) उस व्यवसाय में एक वर्ष का अनुभव **टिप्पण 1 :** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति/आमेलन :— केन्द्रीय सरकार में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों में से :— (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2000 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; या

(11)
(iii) जिन्होंने वेतन बैंड 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की है; या
(iv) जिन्होंने वेतन बैंड 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में ग्यारह वर्ष सेवा की है; और
(ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।
टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष के अधिक नहीं होगी।
टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : (i) संयुक्त सचिव (प्रशासन)/उप सचिव (प्रशासन) —अध्यक्ष (ii) अवर सचिव (भर्ती समन्वय और योजना) —सदस्य (iii) अवर सचिव (परीक्षा-II) —सदस्य	लागू नहीं होता।''।

[फा. सं. 39021/3/2010-स्था.(बी)]

राकेश मोज़ा, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 154, तारीख 17 मार्च, 2001 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 24th January, 2012

G.S.R. 31.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Union Public Service Commission, Carpenter Group 'C' post Recruitment Rules, 2000, namely :—

1. Short title and commencement .—(1) These rules may be called the Union Public Service Commission Carpenter Group 'C' post Recruitment (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Union Public Service Commission Carpenter Group 'C' post Recruitment Rules, 2000, —

(i) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely :—

"**2. Number of post, classification and pay band and grade pay or pay scale.**—The number of post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.";

(ii) for the existing Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Carpenter	1* (2012) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1 Rs.5200—20200 plus Grade Pay Rs. 2400	Not applicable	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates in accordance with the instructions or Orders issued by the Central Government from time to time). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep).

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential : (i) Certificate in carpentry trade from a recognized Industrial Training Institute or any other equivalent Institute; and	Not applicable	Two years for direct recruits.

(7)

(ii) One year experience in the trade.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the post reserved for them.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)
Deputation/absorption failing which by direct recruitment.	**Deputation/Absorption :—** From amongst the persons working in the Centrral Government :— (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Pay Band of Rs.5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2000 or equivalent ; or (iii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Pay Band of Rs.5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2000 or equivalent ; or (iv) with eleven years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Pay Band of Rs.5200-20200 with Grade Pay of Rs. 1800 or equivalent ; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8. **Note 1 :** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization shall not ordinarily exceed three years.

	(11)
	Note 2 : The maximum age limit for deputation shall be fifty six years on the date of receipt of application. **Note 3 :** For the purpose appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— (i) Joint Secretary (Administration)/Deputy Secretary (Administration) —Chairman (ii) Under Secretary (Rectuitment Co-ordination and Planning) —Member (iii) Under Secretary (Examination-II) —Member	Not applicable.".

[F. No. 39021/3/2010-Estt.(B)]

RAKESH MOZA, Under Secy.

Font note : The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* No. G.S.R. 154, dated the 17th March, 2001.

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2012

सा.का.नि. 32.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कृषि मंत्रालय, केन्द्रीय मत्स्य नौचालन तथा इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन, विद्युत पर्यवेक्षक और नौ बिजली मिस्त्री (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2009 को, जहां तक उनका संबंध विद्युत पर्यवेक्षक और नौ बिजली मिस्त्री के पदों से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के केन्द्रीय मात्स्य, नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन में विद्युत पर्यवेक्षक और नौ बिजली मिस्त्री के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मत्स्य और नौचालन प्रशिक्षण संस्थान, बिजली मिस्त्री और नौ बिजली मिस्त्री (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।